राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	105/2016 रतन कँवर बनाम मंगेज कँवर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/03/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
24/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीयां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/03/2011 पारित करते हुये तहसीलदार जमवारामगढ़ को खसरा नम्बर 63 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा व खसरा नम्बर 65 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम चक चारणवास तहसील जमवारामगढ़ के उभयपक्षों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार, मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुये भूमि का विधिवत बटवारा बाई मीट्स एंड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08/02/2016 पारित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्ति बाबत कुर्रेजात का युक्तियुक्त निस्तारण किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये मुताबिक कुर्रेजात पक्षकारान का विभाजन कर दिया गया, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | विधि के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे कुर्रेजात पर प्रस्तुत आपत्तियो का समुचित विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करते किन्तु ऐसा नही कर मुताबिक कुर्रेजात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी किया जाना प्रकट होता है | इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन कुर्रेजात रिपोर्ट एवं उसके आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रतन कँवर बनाम मंगेज कँवर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा किया गया विभाजन न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है।

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08/02/2016 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुन: कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करने के उपरान्त प्रकरण के गुणावगुण पर पक्षकारान की सुनवाई कर विवेचनात्मक एवं विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर